


173/25

अपीलांर के आधि व वला अनुपाठिते।
 आधि व वला अपीलांर को साबिका आदेश
 की पालना हेतु सर्व मे पर्याप्त बवसर
 दिया जा चुका है, लिहाजा अपीलांर की
 यह अपील अडम पैरवी व अडम
 न्यायालय ^{पालना} आदेश मे खारिज की जाती
 है। पत्रावली कुसल शुमार होकर नम्बर
 से कम ही एवं डाखिल दफतर हो।
 आधिपस्थ न्यायालय का अगिले निबंध
 की आती के साथ लौटाया जावे।


 मिला कलेक्टर
 जांमेर

